

31

दिनांक: 30/4/15-7-16/24/1999

प्रमाण

श्री अजीम खान,  
एन.डी.ए.ए.ए.  
उत्तर प्रदेश सरकार ।

सेवा में

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
विद्या भवन, 2 मन्दाप कम्प्लेक्स,  
प्रति दिल्ली ।

विद्या 171 अनुभाग

महानु: दिनांक: 6 जून 1999

विषय:- राजधानी शिवाजी पब्लिक स्कूल मधोनी रोड मथुरा की अनुसूचित  
पत्रिका में दिल्ली से सम्बन्धित अनुसूचित प्रमाण पत्र दिवा  
बना ।

संदर्भ,

उपरोक्त विषय पर श्री यह ज्ञेय कि विदेश हुआ है कि राजधानी  
शिवाजी पब्लिक स्कूल मधोनी रोड मथुरा की अनुसूचित प्रमाण पत्र दिल्ली से  
सम्बन्धित अनुसूचित प्रमाण पत्र दिवा जाने में इस राज्य सरकार को निम्न-  
लिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनुसूचित बना :-

- 111 विद्यमान की अनुसूचित प्रमाण पत्र का सम्य सम्य पर नवीनी-  
करण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यमान की प्रत्येक प्रति में विद्यमान विदेश द्वारा नामित  
रक करण होना ।
- 131 विद्यमान में कम से कम एक प्रमाण पत्र अनुसूचित प्रति/  
अनुसूचित प्रमाण पत्र के पत्रों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनके  
उपार प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा तैयार  
विद्यमानों में विभिन्न स्तरों के लिए निर्धारित शुल्क से  
अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं  
की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यमान माध्यमिक शिक्षा  
परिषद से प्रस्तावित शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है  
तथा विद्यमान की सम्बन्धित केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद  
की प्रति काट दि अनुसूचित अनुसूचित प्रमाण पत्र, नई  
दिल्ली से प्राप्त होती है तो उन प्रमाण पत्रों से सम्बन्धित  
प्राप्त होने की स्थिति में परिषद से मान्यता तथा राज्य  
सरकार से अनुदान स्वतः बनाया ही जायेगी ।
- 151 संस्था अधिक से अधिक विद्यमानों की राजकीय सहायता  
प्राप्त विद्यमान संस्थाओं के व्ययों की अनुसूचित प्रमाण पत्रों  
तथा अन्य प्रमाण पत्रों के सम वेलागत तथा अन्य प्रमाण पत्रों दिवा  
जायेगी ।

The Ramanlal Shorawala Public School  
Principal  
... 2/6  
Manager

ATTESTED

Principal  
Ramanlal Shorawala Public School  
Mathura

16। कर्मचारियों को सेवा शर्तों कापी प्रतियों और उन्हें सहायता प्राप्त आवासों पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों के अनुसंधान सेवा नियुक्ति का काम उपलब्ध कराये जायेंगे ।

17। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निम्नी विधि जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।

18। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

2- सुध्या यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि विद्यालय की भुक्ति-जन विधि स्वामित्व में है ।

3- उक्त दृष्टिकोणों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होना और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त दृष्टिकोणों का पालन नहीं किया जा रहा है उक्त पालन करने में किसी प्रकार की वृद्ध या शिथिलता बताने का रही है तो राज्य सरकार द्वारा उक्त अन्यायित प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

प्रमुख अधिकारी  
संस्था का अधिकारी ।

शुक्र 20/4/11/15-7-1999 तद्विनिर्देश

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुकार्य एवं उत्तम कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- राष्ट्रीय संयुक्त शिक्षा विभाग, अजमेर ।
- 3- शिक्षा विभाग, दिल्ली, मुंबई ।
- 4- विशेषज्ञ अंगीकृत भारतीय विद्यालय 2050 लखनऊ ।
- 5- प्रमुख अधिकारी महानिदेशक शिक्षा, लखनऊ ।

आज्ञा है

*[Signature]*  
प्रमुख अधिकारी  
संस्था का अधिकारी ।

ATTESTED

For Bantawal Shorawala Public School

*[Signature]*

Manager

*[Signature]*

Principal

Bantawal Shorawala Public School  
Mathura